



पत्र सं- 2957

/एम-57/99

दिनांक- 20-09-19

### ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑन-लाइन निविदाएं परिषद में सत्र त्तर से पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 05-10-2019 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-टेंडर पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जो उपरिष्ठित निविदा-दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे खोली जायेगी। दू-बिडबिड पद्धति पर आमंत्रित निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित अनुमानित लागत (रु. लाख में)	घरोहर धनराशि (रु. लाख में)	निविदा प्रयत्न का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	टेकनिकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेंशियल बिड खुलने की तिथि व समय	सम्बन्धित खण्ड का नाम
1.	वृन्दावन योजना सख्या-4 लखनऊ में स्थित 45 मीटर चौड़ी VVIP सड़क (वीपीसीआई) के पास राधेश्वरी केंद्र पर स्थित मुख्य गेट से राष्ट्रीय चय तक) पर रीसर्वांसिंग (बिदुमिन्स कंस्ट्रैट) का कार्य।	₹ 538.00	₹ 10.76	₹ 7500/- + 18% GST	तीन माह	05-10-19 अपराह्न 3:00 बजे	09-10-2019 अपराह्न 1:00 बजे	अधि०अधि० नि०ख०-19 5795810092
2.	राधेश्वरी रोड से वृन्दावन योजना प छोले वाली तीन इन्टी फाइनट (रामिदेव मन्दिर, श्रीवैद्य चौधरी सेन्ट्रल कॉलेज एवं कालिन्दी पार्क) के रोडवर-16 तक की 45/30 मीटर चौड़ी सड़कों पर रीसर्वांसिंग (बिदुमिन्स कंस्ट्रैट) का कार्य।	₹ 414.00	₹ 8.28	₹ 6000/- + 18% GST				

Document Download Start Date	25-9-2019	निविदा से सम्बन्धित प्रयत्न का मूल्य व घरोहर धनराशि RTGS के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व खण्ड कार्यालय के खाते में अलग-अलग जमा किया जाना होगा। बांणित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नानु है-
Bid Submission Start Date	25-9-2019	
Bid Submission Closing Date	05-10-2019 (3:00 P.M.)	
Technical Bid Opening Date	05-10-2019 (3:30 P.M.)	
Financial Bid Opening Date	09-10-2019 (1:00 P.M.)	

Name of A/C Holder

Executive Engineer Construction Division-19, U.P. Housing & Development Board,  
Vrindavan Yojna, Lucknow

Account Detail

Bank of India, Subhani Khara, Lucknow  
Account No. 681510110001374  
IFS Code No. BKID0006815

- अ- निविदा प्रयत्न/घरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रयत्न के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।
- ब- निविदा प्रयत्न परिषद की वेबसाइट <http://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उपरि वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक/ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

सागान्य शर्तें :-

- 1- निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
- 2- उ०प्र० भवन एवं अन्य रन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2008 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर रीसा की कटौती की जायेगी।

- 3- निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 4- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा का लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 5- निविदादाताओं/फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10% (दस प्रतिशत) जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
- 6- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
- 7- निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- 8अ- निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- ब- निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- स- कार्य की लागत में लेबरसेस व जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। तदसमय देय जी0एस0टी0 व लेबरसेसआदि का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
- 9- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 10- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी। जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अयमुक्त की जाएगी।
- 11- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- 12- जी0पी0डब्लू-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 13- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित "मासिक प्रगति चार्ट" के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में उक्त माह के अवशेष कार्य को बिना नोटिस दिए अन्य डेबिटेबिल एजेन्सी से करा लिया जायेगा तथा कृत कार्य कराने में आयी अतिरिक्त लागत की रिकवरी कर ली जायेगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 14- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
- 15- ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्वोरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में आन-लाइन जमा करनी होगी।
- 16- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी शिड्यूल्ड बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
- (क) 10 प्रतिशत Below दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर / 0.50 प्रतिशत।
- (ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर / 1.00 प्रतिशत।
- 17- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
- 18- शासनादेश संख्या 622/2372-2012-2आडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्र संख्या 4196/निविदा/2018 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मागले में पॉजिट परफारमेंस गारण्टी वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा

- की स्थिति में धरोहर धनराशि जब कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 19- निविदा प्रपत्र, टी-4, टी-5 अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही निर्गत की जायेगी।
- 20- हॉटमिक्स प्लान्ट का स्वामित्व रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदायें ही मान्य होंगी तथा स्वामित्व हेतु लीज एग्रीमेन्ट मान्य नहीं होगा। फर्म इस आशय का अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि प्लान्ट द्वारा उच्च गुणवत्ता की सामग्री सनयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
- 21- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। कार्यस्थल से स्थापित प्लान्ट की सड़क के माध्यम से अधिकतम दूरी 20 कि०मी० के अन्दर होना वॉन्डित है।
- 22- इस निविदा से सम्बन्धित कार्य वृन्दावन योजना लखनऊ के विभिन्न सेक्टरों में कराया जाना है। योजना के सेक्टर-15 में माह फरवरी-2020 में आयोजित **DEFEXPO INDIA-2020** के दृष्टिगत भारी वाहनों का आना-जाना सम्भावित है। अतः रीसर्फेसिंग का कार्य उच्च गुणवत्ता का कराया जाना अपेक्षित है। इस कारण निविदादाता को सन्दर्भित कार्य हेतु एक वर्ष के रखरखाव हेतु निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 23- फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 24- फर्म द्वारा सूचित की गयी स्वामित्व वाली टी० एण्ड पी० के नवीनतम पंजीकरण प्रपत्र भी सूची के साथ उपलब्ध कराया जाना वॉन्डित है।

(मो० अली सफदर )  
अधीक्षण अभियन्ता

पृ०सं० 2957

/उक्त/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/वृन्दावन वृत्त/मुख्यालय वृत्त/प्रोजेक्ट वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2/3/4/7/11/12/13/19/15/19/21/31, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- अवर अभियन्ता(तक०), तृतीय वृत्त, लखनऊ।
- 6- नोटिस बोर्ड।

  
अधीक्षण अभियन्ता